UPSI010015692010

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (यू0 पी0 गैंगेस्टर एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश,

कोर्ट सं0 03, सीतापुर।

पीठासीन अधिकारी– अवनीश कुमार–1, (एच०जे०एस०)UP 02737

विशेष सत्र परीक्षण संख्या–227/2013

CIS:3800227/2013

निर्णय तिथि–24.03.2026

प्रथम सूचना रिपोर्ट, अपराध व थाना इत्यादि का विवरण

अभियोजन	सरकार (द्वारा प्रभारी निरीक्षक, श्री भान सिंह थाना–महमूदाबाद, जिला सीतापुर।
अभियोजन अधिवक्ता	श्री तेज कुमार दीक्षित एवं श्री संतोष मौर्या (सहायक अभियोजन अधिकारीगण)
अभियुक्तगण	ए 1. प्रमोद कुमार वर्मा आयु 33 वर्ष पुत्र सुरेशचन्द्र, निवासी ग्राम जसमडा, थाना महमूदाबाद, जिला सीतापुर, ए 2. छोटन्ने आयु 35 वर्ष पुत्र वारिस अली, निवासी ग्राम इमलिया तिलकापुर, थाना महमूदाबाद, जिला सीतापुर, ए 2. राजू आयु 45 वर्ष पुत्र मेंहदी, निवासी ग्राम भदमरा, थाना रेउसा, जिला सीतापुर,
अभियुक्तगण विद्वान अधिवक्तागण	अभियुक्त प्रमोद कुमार वर्मा की ओर से– श्री आदित्य वर्मा, अभियुक्त छोटकन्ने की ओर से– श्री प्रेम रतन कटियार व अभियुक्त राजू की ओर से– श्री अतीक अहमद,

घटना की तिथि	10.09.2009
प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने की तिथि	10.09.2009
आरोप-विरचन की तिथि	04.10.2019
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	19.11.2019
निर्णय में संरक्षित किये जाने की तिथि	17.03.2026
निर्णय की तिथि	23.03.2026

अपराध संख्या– 847, 849, 849/2009
धारा– 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986
थाना–महमूदाबाद, जिला सीतापुर।

निर्णय

1. अभियुक्तगण प्रमोद कुमार वर्मा, छोटकन्ने व राजू के विरूद्ध संस्थित मुकदमा अपराध सं०–847/2009, 848/2009 व 849/2009 अंतर्गत धारा–2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना

महमूदाबाद, जिला सीतापुर में पुलिस/विवेचक द्वारा विवेचना के उपरान्त आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 10.09.2009 को वादी थानाध्यक्ष श्री भान सिंह मय कां० शीतला प्रसाद, कां० ड्रा० जय नरायण सिंह के बाद कार्य सरकार से सदर सीतापुर से क्षेत्र भ्रमण के दौरान विदित हुआ कि प्रमोद कुमार वर्मा का एक संगठित गिरोह है, जिसके साथी छोटकन्ने व राजू हैं, जो आस–पास के क्षेत्र में चोरी, लूट व मारपीट, हत्या आदि अपराध करके अपने व अपने गिरोह के सदस्यों के लिए आर्थिक लाभ प्राप्त करता है। इनका जनता में भय व आतंक व्याप्त है। प्रमोद कुमार वर्मा गैंग का लीडर है तथा छोटकन्ने व राजू इसके सक्रिय सदस्य हैं। इस गैंग का इतना आंतक है कि जनका का कोई व्यक्ति गवाही देने का साहस नहीं करता है। उक्त गिरोह द्वारा किये जा रहे अपराध धारा 2/3 उ०प्र० गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

3. जुबानी इत्तिला के आधार पर पुलिस थाना महमूदाबाद द्वारा अभियुक्तगण प्रमोद कुमार वर्मा, छोटकन्ने व राजू के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमशः मु०अ०सं०–847/2009, 848/2009 व 849/2009 अन्तर्गत धारा 2/3 उ०प्र० गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत दिनांक 10.09.2009 को समय 17:10 बजे दर्ज की गयी, जिसका दाखिला रोजनामचा रपट संख्या–40 समय 17:20 बजे किया गया। विवेचक द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध गैंगचार्ट तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट से अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमा चलाये जाने हेतु अनुमोदन प्राप्त किया गया तथा विवेचना पूर्ण होने के उपरान्त न्यायालय के समक्ष अभियुक्तगण प्रमोद कुमार वर्मा, छोटकन्ने व राजू के विरूद्ध आरोप–पत्र अन्तर्गत धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट प्रेषित किया गया।

4. अभियुक्तगण के न्यायालय उपस्थित आने पर अभियुक्तगण प्रमोद कुमार वर्मा, छोटकन्ने व राजू के विरूद्ध पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा 2/3 गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा आरोप से इंकार करते हुए विचारण की मांग की गयी।

<u>मौखिक साक्ष्य</u>

क्रम सं०	साक्षी का नाम	साक्षी की प्रकृति
पी०डब्लू०-1	प्रभारी निरीक्षक, भान सिंह	वादी मुकदमा
पी०डब्लू०-2	कां० राजेन्द्र वर्मा	चिक लेखक
पी०डब्लू०-3	शैलेन्द्र कुमार	स्वतंत्र साक्षी
पी०डब्लू०-4	प्रभारी निरीक्षक, महेन्द्र प्रताप सिंह	विवेचक

<u>दस्तावेजी साक्ष्य</u>

क्रम सं०	प्रदर्शांक	दस्तावेजी साक्ष्य	साक्षी का नाम
1	प्रदर्श क–1	गैंगचार्ट	P.W.1 प्रभारी निरीक्षक, भान सिंह

2	प्रदर्श क–2	चिक एफ०आई०आर	P.W.1 प्रभारी निरीक्षक, भान सिंह
3	प्रदर्श क–3	नकल रपट	P.W.1 प्रभारी निरीक्षक, भान सिंह
4	प्रदर्श क–4	अनुमति आदेश	P.W.1 प्रभारी निरीक्षक, महेन्द्र प्रताप सिंह
5	प्रदर्श क–5, 6 व 7	तीन किता आरोपपत्र	P.W.1 प्रभारी निरीक्षक, महेन्द्र प्रताप सिंह

5. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरांत अभियुक्तगण का बयान अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया। अभियुक्त प्रमोद कुमार वर्मा द्वारा अभियोजन कथानक को गलत बताते हुये कहा है कि रंजिशन मुकदमा लिखवाया गया है, गैंगचार्ट, चिक एफ०आई०आर० व नकल रपट व पी०डब्लू०–3 की साक्ष्य को गलत होना एवं पी०डब्लू०–4 द्वारा प्रमाणित अनुमति आदेश व आरोप–पत्र क्रमशः प्रदर्श क–5, 6 व 7 को गलत होना कहा। मुकदमा चुनावी रंजिश व चुनावी रंजिश के कारण गवाही दिया जाना कहा और स्वयं को निर्दोष होना व कोई सफाई साक्ष्य न प्रस्तुत करने का कथन किया। अभियुक्त छोटकन्ने द्वारा अभियोजन कथानक को गलत बताते हुये कहा है कि मुकदमा झूठा है। कथित घटना से उसका कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। गैंगचार्ट, चिक एफ०आई०आर० व नकल रपट व पी०डब्लू०–3 के सम्बन्ध में कहा कि पुलिस ने कारगुजारी दिखाने के लिए झूठे प्रपत्र तैयार किये हैं तथा वह औपचारिक साक्षी है। पी०डब्लू०–4 द्वारा प्रमाणित अनुमति आदेश व आरोप–पत्र क्रमशः प्रदर्श क–5, 6 व 7 को गलत होना कहा। मुकदमा चुनावी रंजिश व चुनावी रंजिश के कारण गवाही दिया जाना कहा और स्वयं को निर्दोष होना व कोई सफाई साक्ष्य न प्रस्तुत करने का कथन किया। अभियुक्त राजू द्वारा अभियोजन कथानक को गलत और आरोप झूठे बताते हुये कहा है कि मुकदमा झूठा दर्ज कराया गया है। साक्षी पी०डब्लू०–1 को औपचारिक साक्षी व गलत बयान दिया जाना कहा। कथित घटना से उसका कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। गैंगचार्ट, चिक एफ०आई०आर० व नकल रपट व पी०डब्लू०–3 के सम्बन्ध में कहा कि पुलिस ने कारगुजारी दिखाने के लिए झूठे प्रपत्र तैयार किये हैं तथा वह औपचारिक साक्षी है। पी०डब्लू०–4 द्वारा प्रमाणित अनुमति आदेश व आरोप–पत्र क्रमशः प्रदर्श क–5, 6 व 7 को गलत होना कहा। मुकदमा चुनावी रंजिश व चुनावी रंजिश के कारण गवाही दिया जाना कहा और स्वयं को निर्दोष होना व कोई सफाई साक्ष्य न प्रस्तुत करने का कथन किया।

6. मैने विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुना एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

7. राज्य की ओर विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा बहस करते हुये तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह तथ्य पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण का एक संगठित गिरोह है और जो संयुक्त रूप से चोरी, लूट, मारपीट व हत्या जैसी अपराधिक घटनाओं को अन्जाम देते हैं और इनके भय व आतंक के वजह से कोई भी व्यक्ति इनके विरूद्ध गवाही देने का साहस नहीं करता। अभियुक्त प्रमोद कुमार वर्मा इस गिरोह का सक्रिय मुखिया तथा अभियुक्तगण छोटकन्ने व राजू सक्रिय सदस्य हैं। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण ने भी अभियोजन प्रपत्रों को साबित करते हुये अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाये।

8. उपरोक्त तर्कों का बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा खण्डन किया गया तथा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण को रंजिशन फंसाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। अभियोजन साक्षियों ने बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में अभियोजन कथानक से विपरीत कथन किये हैं, जिससे अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोजन कथानक साबित नहीं होता है, अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाये।

9. आपराधिक प्रकरण में सर्वप्रथम अभियोजन पक्ष पर यह साबित करने का भार है कि अभियोजन, अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करे। अब देखना यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 2/3 यू० पी० गैंगेस्टर अधिनियम के आवश्यक तत्वों को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है अथवा नहीं?

10. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित आरोपों को साबित करने के उददेश्य से **पी०डब्लू०–1 सेवानिवृत्त निरीक्षक भान सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में गैंगचार्ट को प्रदर्श क–1, जुबानी इत्तला फर्द रिपोर्ट को प्रदर्श क–2 व नकल रपट को प्रदर्श क–3 के रूप में प्रमाणित किया है।

11. **पी०डब्लू० 2 एस०एस०आई० राजेन्द्र वर्मा** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 10.09.2009 को वह थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर में हेड मोहर्रिर के पद पर तैनात था। उसी दिन थानाध्यक्ष महमूदाबाद श्री भान सिंह की जुबानी सूचना के आधार पर मु०अ०सं०–847/2009,848/2009 व 849/2009 धारा 2/3 उ०प्र० गैंगेस्टर एक्ट बनाम प्रमोद कुमार वर्मा पुत्र सुरेश वर्मा निवासी ग्राम जसमरा, थाना महमूदाबाद, छोटकन्ने पुत्र वारिस अली, निवासी इमलिया टिकवापुर, तथा राजू पुत्र मेंहदी, निवासी चैनी अदमरा थाना रेउसा जनपद सीतापुर के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी थी। एफ०आई०आर की मूल प्रति जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है, वह शामिल पत्रावली है, जिस पर पूर्व से प्रदर्श क–2 अंकित है। एफ०आई०आर की कायमी उसी दिन कां० क्लर्क सुरेश कुमार सोनकर द्वारा की गयी थी, जिसकी कार्बन प्रति शामिल पत्रावली है। सुरेश कुमार सोनकर उसके साथ कार्यरत रहे हैं। वह उनके लेख व हस्ताक्षर से भलीभांति परिचित है। वह उनके हस्ताक्षर की पुष्टि करता है। कायमी पर पूर्व से प्रदर्श क–3 अंकित है। दौरान विवेचना विवेचक ने उसका बयान लिया था।

12. **पी०डब्लू० 3 शैलेन्द्र कुमार** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "घटना आज से लगभग 13 वर्ष पहले की है। वर्ष 2009 का है। वह अपनी मोटर साइकिल से हीरोहाण्डा डीलक्स सी०डी० जिसका नम्बर यू०पी० 34 बी०एन० 0959 है, से बितौली नगर गया था। समय करीब 03:30 बजे दिन में वह बितौली बाजार से प्रमोद पुत्र सुरेश ग्राम जसमण्डा चोरी करके भाग गये थे। इस घटना को पिन्टू ने देखा था, जिन्होंने उसे बताया था कि उसकी मोटर साइकिल प्रमोद चुराकर ले गये हैं। उसकी चोरी हुई मोटरसाइकिल घटना के तीसरे दिन पुलिस ने प्रमोद के पास से बरामद की थी। प्रमोद के साथ छोटकन्ने पुत्र वारिस अली ग्राम इमलिया तिलकापुर, थाना महमूदाबाद व राजू पुत्र मेंहदी निवासी भदमेरा थाना रेउसा, के पास से बरामद हुयी थी। बरामद मोटरसाइकिल से शिनाख्त करायी थी। मोटरसाइकिल

देखकर उसने पुष्टि की थी। यह उसकी थी। थाने पर सूचना दी थी। इस घटना की सूचना उसने थाने पर थी। दरोगा जी ने उसका बयान अंकित किया था। गैंगेस्टर के मुकदमें में भी उसका बयान लिया गया था। "

13. **पी०डब्लू० 4 महेन्द्र प्रताप सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन स्वीकृति को प्रदर्श क–4 व मु०अ०सं०–847/2009, मु०अ०सं०–848/2009 व मु०अ०सं०–849/2009 में विवेचनोंपरान्त विवेचक द्वारा प्रेषित आरोप–पत्र क्रमशः **प्रदर्श क–5, प्रदर्श क–6 व प्रदर्श क–7** के रूप में प्रमाणित किया है।

14. प्रस्तुत आपराधिक वाद थाना महमूदाबाद की पुलिस द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त अभियुक्तगण का एक आपराधिक गैंग है, जिसका उद्देश्य उ०प्र० गैंगस्टर व समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 2 बी में वर्णित अपराध कारित करना है। इस प्रकार आपराधिक कृत्य करके इनके द्वारा आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ प्राप्त किया जाता है तथा इनके इस प्रकार के आपराधिक कृत्य से समाज में आतंक व भय व्याप्त है जिससे कोई इनके विरूद्ध साक्ष्य देने साहस नहीं करता है।

15. इस स्तर पर यह देखा जाना है कि **क्या अभियुक्तगण द्वारा वास्तव में एक गिरोह बनाकर अपराध कारित किये जा रहे थे जिनका उद्देश्य आम जनता में भय व आतंक व्याप्त कर आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ प्राप्त करना है।**

16. इस सम्बन्ध में धारा 2(b) उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी कियाकलाप निवारण अधिनियम की उपधारा (i) में इस बात का उल्लेख है किः–
"Gang" means a group of persons, who acting either singly or collectively, by violence, or threat or show of violence, or intimidation, or coercion, or otherwise with the object of disturbing public order or of gaining any undue temporal, pecuniary, material or other advantage of himself or any other person, indulge in anti–social activities, namely:

(i) offences punishable under Chapter XVI, or Chapter XVII, or Chapter XXII of the Indian Penal Code (Act No. 45 of 1860), or

(ii) distilling or manufacturing or storing or transporting or importing or exporting or selling or distributing any liquor, or intoxicating or dangerous drugs, or other intoxicants or narcotics or cultivating any plant, in contravention of any of the provisions of the U.P. Excise Act, 1910 (U.P. Act No. 4 of 1910), or the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (Act No. 61 of 1985), or any other law for the time being in force, or

(iii) occupying or taking possession of immovable property otherwise than in accordance with law, or setting–up false claims for title or possession of immovable property whether in himself or any other person, or

(iv) preventing or attempting to prevent any public servant or any witness from discharging his lawful duties, or

(v) offences punishable under the Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act. 1956 (Act No. 104 of 1956), or

(vi) offences punishable under Section 3 of the Public Gambling Act, 1867 (Act No. 3 of 1867), or

(vii) preventing any person from offering bids in auction lawfully conducted, or tender, lawfully invited, by or on behalf of any Government department, local body or public or private undertaking, for any lease or rights or supply of goods or work to be done, or

(viii) preventing or disturbing the smooth running by any person of his lawful business, profession, trade or employment or any other lawful activity connected therewith, or

(ix) offences punishable under Section 171–E of the Indian Penal Code (Act No. 45 of 1860), or in preventing or obstructing any public election being lawfully held, by physically preventing the voter from exercising his electoral rights, or

(x) ineiting others to resort to violence to disturb communal harmony, or

(xi) creating panic, alarm or terror in public, or

(xii) terrorising or assaulting employees or owners or occupiers of public or private undertakings or factories and causing mischief in respect of their properties, or

(xiii) inducing or attempting to induce any person to go to foreign countries on false representation that any employment, trade or profession shall be provided to him in such foreign country, or

(xiv) kidnapping or abducting any person with intent to extort ransom, or

(xv) diverting or otherwise preventing any aircraft or public transport vehicle from following its scheduled course;

(xvi) offences punishable under the Regulation of Money Lending Act, 1976;

(xvii) illegally transporting and/or smuggling of cattle and indulging in acts in contravention of the provisions in the Prevention of Cow Slaughter Act, 1955 and the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960;

(xviii) human trafficking for purposes of commercial exploitation, bonded labour, child labour, sexual exploitation, organ removing and trafficking, beggary and the like activities.

(xix) offences punishable under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1966:

(xx) printing, transporting and circulating of fake Indian currency notes;

(xxi) involving in production, sale and distribution of spurious drugs;

(xxii) involving in manufacture, sale and transportation of arms and ammunition in contravention of Sections 5, 7 and 12 of the Arms Act, 1959:

(xxiii) felling or killing for economic gains, smuggling of products in contravention of the Indian Forest Act, 1927 and Wildlife Protection Act, 1972;

(xxiv) offences punishable under the Entertainment and Betting Tax Act, 1979;

(xxv) indulging in crimes that impact security of State, public order and even tempo of life.

Section 2(c):– "gangster" means a member or leader or organiser of a gang and includes any person who abets or assists in the activities of a gang enumerated in clause (b), whether before or after the commission of such activities or harbours any person who has indulged in such activities;

Section 3: Penalty. (1) A gangster shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than two years and which may extend to ten years and also with fine which shall not be less than five thousand rupees:

Provided that a gangster who commits an offence against the person of a public servant or the person of a member of the family of a public servant shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than three years and also with fine which shall not be less than five thousand rupees.

(2) Whoever being a public servant renders any illegal help or support in any manner to a gangster, whether before or after the commission of any offence by the gangster (whether by himself or

through others) or abstains from taking lawful measures or intentionally avoids to carry out the directions of any Court or of his superior officers, in this respect, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years but shall not be less than three years and also with fine."

17. गिरोह की उक्त परिभाषा जो अधिनियम की धारा 2 ख के अधीन दी गयी है, उसके अनुसार प्रस्तुत प्रकरण में निम्न बिन्दुओं पर निष्कर्ष निकाला जाना है कि

i– क्या अभियुक्त का कोई गिरोह अर्थात गैंग था?

ii– क्या अभियुक्त द्वारा उस गैंग के मुखिया/सदस्य के रूप में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहते हुये भारतीय दण्ड विधान में वर्णित धारा 16,17,22 के अन्तर्गत अपराध किये गये?

iii– क्या उक्त गैंग में सम्मिलित होकर किये गये अपराधों का उद्देश्य आर्थिक व भौतिक रूप से दुनियाबी लाभ प्राप्त करना था?

18. सर्वप्रथम यह देखा जाना है कि **क्या अभियुक्तगण का कोई गिरोह था?** इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध गैंगचार्ट के अवलोकन से विदित होता है कि उपरोक्त अभियुक्तगण का एक गिरोह है तथा अभियुक्त प्रमोद कुमार वर्मा उस गिरोह का सरगना है तथा अभियुक्तगण छोटकन्ने व राजू उक्त गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं। अभियुक्त प्रमोद कुमार वर्मा के विरूद्ध मु०अ०सं० 575/2009 धारा 379,411 भा०दं०सं०, अपराध सं० 543/2009 धारा 379,411 भा०दं०सं०, अपराध सं० 581/2009 धारा 25 आयुध अधिनियम, अभियुक्त छोटकन्ने के विरूद्ध मु०अ०सं० 575/2009 धारा 379,411 भा०दं०सं०, अपराध सं० 543/2009 धारा 379,411 भा०दं०सं०, अपराध सं० 582/2009 धारा 4/25 आयुध अधिनियम व अभियुक्त राजू के विरूद्ध मु०अ०सं० 575/2009 धारा 379,411 भा०दं०सं०, अपराध सं० 543/2009 धारा 379,411 भा०दं०सं०, अपराध सं० 583/2009 धारा 4/25 आयुध अधिनियम, से सम्बन्धित मुकदमों का उल्लेख किया गया है। अभियुक्तगण के समूह के विरूद्ध दर्ज मुकदमों के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध निर्मित गैंगचार्ट पर अभियोजन स्वीकृति प्राप्त होना अंकित है।

19. गैंगचार्ट के अवलोकन से विदित होता है कि तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक महमूदाबाद द्वारा अभियुक्तगण के जो गैंगचार्ट तैयार कर अनुमोदन हेतु जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर व पुलिस अधीक्षक सीतापुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिस पर "अभियुक्त प्रमोद कुमार वर्मा का एक संगठित एवं सक्रिय गिरोह है जो अपने व अपने साथियों के साथ स्वयं के साथियों की आय के लिए अपराध करते हैं, जिनका आम जनमानस में इतना भय व आतंक व्याप्त है, कि जनता का कोई व्यक्ति इनके खिलाफ गवाही देने व रिपोर्ट लिखाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है।" का पृष्ठांकन किया गया है। जिसे जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर व पुलिस अधीक्षक सीतापुर द्वारा अनुमोदित करते हुए मात्र सूक्ष्म हस्ताक्षर बनाये गये हैं तथा अभियुक्तगण के विरूद्ध

निर्मित गैंगचार्ट पर ऐसा कोई भी आधार नहीं अंकित किया गया, जिससे कि अभियुक्तगण के विरूद्ध अनुमोदित गैंगचार्ट युक्तियुक्त संदेह से परे साबित हो सकता।

20. इस बिन्दु पर मैंने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की विधि व्यवस्था **सनी मिश्रा उर्फ संजयन कुमार मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** AIR 2023 All 2092 का अवलोकन किया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि " गैंगेस्टर एक्ट जैसी कठोर विधि का प्रयोग तभी वैध है जब पूरी प्रक्रिया कानूनी नियमों के अनुसार, ठोस आधार पर और स्वतंत्र विचार के साथ तैयार की जाये।"

21. इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न निर्णयों में यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि गैंगस्टर एक्ट जैसे कठोर दंडात्मक विधानों का प्रयोग अत्यंत सावधानी एवं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए ही किया जाना चाहिए। न्यायालय ने यह भी निर्देशित किया है कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध गैंगचार्ट तैयार करना एक गंभीर प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही है, जिसे यांत्रिक रूप से नहीं किया जा सकता।

22. अतः यह आवश्यक है कि गैंगचार्ट तैयार किए जाने से पूर्व जिलाधिकारी (DM) एवं पुलिस अधीक्षक (SP) के मध्य समुचित विचार–विमर्श (due deliberation) किया जाए, जिसमें आरोपित व्यक्ति के विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्यों, आपराधिक इतिहास एवं उसके द्वारा समाज पर पड़ने वाले प्रभाव का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जाए। बिना इस प्रकार की सम्यक बैठक एवं संतुष्टि के, गैंगचार्ट का निर्माण करना मनमाना एवं विधि विरुद्ध माना जाएगा।

23. माननीय न्यायालयों ने समय–समय पर यह भी कहा है कि गैंगस्टर एक्ट का उपयोग केवल गंभीर एवं संगठित अपराधों के मामलों में ही किया जाना चाहिए, न कि व्यक्तिगत द्वेष या सामान्य अपराधों को कठोर बनाने के उद्देश्य से। यदि उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है, तो ऐसी कार्यवाही न्यायिक समीक्षा में टिक नहीं सकती और इसे निरस्त किया जा सकता है।

24. प्रस्तुत मामले में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गैंगचार्ट पर तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर व पुलिस अधीक्षक सीतापुर द्वारा बिना कोई अभियुक्तगण पर गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में बिना कोई उचित आधार अंकित किये बिना ही गैंगचार्ट पर मात्र सूक्ष्म हस्ताक्षर अंकित कर अनुमोदित किया गया है।

25. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू० 4 महेन्द्र प्रताप सिंह, विवेचक** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य संकलित करने के उपरान्त यह पाया गया कि अभियुक्तगण का एक संगठित आपराधिक गिरोह है जिनके विरूद्ध पूर्व में गैंगचार्ट अनुमोदित कराया जा चुका है।" बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में इस साक्षी ने कहा है कि उसने अभियुक्तगण द्वारा अपराध कारित करके जो सम्पत्ति अर्जित की थी, उसका ब्योरा उसने केस डायरी में नहीं लिखा है। उसे गैंगचार्ट में दर्शाये गये मुकदमों में न्यायालय द्वारा क्या निर्णय पारित किया गया है, इसकी जानकारी नहीं है। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से स्पष्ट है कि प्रकरण के विवेचक द्वारा दौरान विवेचना ऐसा कोई साक्ष्य केस डायरी पर

उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे यह साबित होता कि अभियुक्तगण का एक गैंग था तथा उक्त गैंग बनाकर आपराधिक कृत्य करके इनके द्वारा आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ प्राप्त किया गया।

26. इसके अतिरिक्त **पी०डब्लू०–1 भान सिंह इन्सपेक्टर** ने अपनी मुख्य परीक्षा में गैंगचार्ट को प्रदर्श क–1, जुबानी इत्तला फर्द रिपोर्ट को प्रदर्श क–2 व नकल रपट को प्रदर्श क–3 के रूप में प्रमाणित किया है तथा बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में इस साक्षी ने कहा है कि उसने उन व्यक्तियों के नाम नहीं लिखे हैं, जिनके द्वारा उपरोक्त सक्रिय गिरोह के बारे में सूचना मिली थी। उसने गैंग के किसी सदस्य की आर्थिक या भौतिक लाभ अर्जित करने का विवरण नहीं लिखाया था, क्योंकि उसको जानकारी नहीं थी।

27. इस प्रकार उपरोक्त दोनों साक्षीगण की साक्ष्य से यह तथ्य स्पष्ट है कि उपरोक्त दोनों साक्षियों ने अभियुक्तगण का गैंग होने तथा गैंगचार्ट को सक्षम अधिकारियों द्वारा अनुमोदित कराये जाने मात्र कथन किया गया है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से अभियुक्तगण का किसी संगठित गिरोह से कोई भी सम्बन्ध अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्ष्यों से प्रमाणित नहीं होता है। वर्तमान प्रकरण में वादी मुकदमा अथवा विवेचक के द्वारा गैंगेस्टर अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना व मात्र बिना किसी पर्याप्त आधार के सक्षम अधिकारियों के सूक्ष्म हस्ताक्षर कराकर गैंगचार्ट के आधार पर आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। अतः अभियोजन के प्रलेखीय एवं मौखिक साक्ष्यों से अभियुक्तगण का गिरोह होना साबित नहीं होता है। अतः अभियोजन उक्त तथ्य को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है।

28. द्वितीय बिन्दु के रूप में यह देखना है कि **क्या अभियुक्तगण द्वारा गैंग के सदस्य के रूप में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहते हुये भारतीय दण्ड विधान में वर्णित धारा 16 व 17 के अन्तर्गत अपराध किये गये?**

29. इस सम्बन्ध में **पी०डब्लू० 3 शैलेन्द्र कुमार** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "वह अपनी मोटर साइकिल से हीरोहाण्डा डीलक्स सी०डी० जिसका नम्बर यू०पी० 34 बी०एन० 0959 है, से बितौली नगर गया था। समय करीब 03:30 बजे दिन में वह बितौली बाजार से प्रमोद पुत्र सुरेश ग्राम जसमण्डा चोरी करके भाग गये थे। इस घटना को पिन्टू ने देखा था, जिन्होंने उसे बताया था कि उसकी मोटर साइकिल प्रमोद चुराकर ले गये हैं। उसकी चोरी हुई मोटरसाइकिल घटना के तीसरे दिन पुलिस ने प्रमोद के पास से बरामद की थी। प्रमोद के साथ छोटकन्ने पुत्र वारिस अली ग्राम इमलिया तिलकापुर, थाना महमूदाबाद व राजू पुत्र मेंहदी निवासी भदमेरा थाना रेउसा, के पास से बरामद हुयी थी। बरामद मोटरसाइकिल से शिनाख्त करायी थी। मोटरसाइकिल देखकर उसने पुष्टि की थी।" इस साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि उसने अपनी मोटर साइकिल चोरी करते हुए किसी को नहीं देखा था और न ही उसकी मोटर साइकिल की बरामदगी उसके सामने पुलिस ने की थी। पुलिस वालों ने उसे थाने पर बुलाया था और उससे एक सादे पन्ने पर दस्तखत कराया था। मुल्जिमानों की शिनाख्त पुलिसवालों ने नहीं करायी थी।" इस सम्बन्ध में

बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क उठाया गया है कि अभियुक्तगण को साक्षी द्वारा न तो मोटरसाइकिल चोरी करते हुए देखा गया है और न उसके सामने उक्त मोटरसाइकिल पुलिस द्वारा बरामद ही गयी है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि उक्त मोटर साइकिल चोरी के सम्बन्ध में अभियुक्तगण की ओर से न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या–2, सीतापुर द्वारा मु०अ०सं०–575/2009 अन्तर्गत धारा 379,411 भारतीय दण्ड संहिता, थाना महमूदाबाद, जिला सीतापुर में पारित निर्णय की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है कि जिसमें कि अभियुक्तगण को संदेह का लाभ प्रदान करते हुए न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि अभियुक्त प्रस्तुत मामले में न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को मोटरसाइकिल चोरी करने व चोरी की हुई मोटरसाइकिल को अभियुक्तगण के पास से बरामद होने का दोषी नहीं माना है और उन्हें दोषमुक्त किया गया है।

30. उपरोक्त साक्षी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि साक्षी के साथ घटित मोटरसाइकिल चोरी की घटना के उपरान्त उसके द्वारा नामजद प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने पर दर्ज करायी गयी थी तथा विवेचनोपरान्त अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। जिसमें न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को संदेह का लाभ प्रदान करते हुए दोषमुक्त किया गया है। उक्त मुकदमें के अतिरिक्त अभियुक्तगण पर दो अन्य मुकदमें पंजीकृत होने का गैंगचार्ट में उल्लेख किया गया है, परन्तु अन्य किसी मुकदमे में अभियुक्तगण के दोषी पाये जाने का कोई प्रमाण अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत गवाहों के बयानों से भी अभियुक्तगण के दोषी पाये जाने का तथ्य प्रमाणित नहीं है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से अभियुक्तगण का किसी संगठित गिरोह से कोई सम्बन्ध अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्ष्यों से प्रमाणित नहीं होता है एवं अभियुक्तगण की आपराधिक गतिविधियों में कोई संलिप्तता पुष्ट व प्रमाणित नहीं होती है। अभियोजन साक्ष्यों से अभियुक्तगण द्वारा गैंग के सरगना व उसके सक्रिय सदस्यों के रूप में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहते हुये भारतीय दण्ड विधान में वर्णित धारा 16 व 17 के अन्तर्गत अपराध कारित कर समाज में भय आतंक उत्पन्न किया जाना युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है।

31. तृतीय बिन्दु के रूप में इस तथ्य पर विचार किया जाना है कि **क्या उक्त गैंग में सम्मिलित होकर किये गये अपराधों का उद्देश्य आर्थिक व भौतिक रूप से दुनियाबी लाभ प्राप्त करना था?**

32. इस सम्बन्ध में पी०डब्लू० 1 प्रभारी निरीक्षक भान सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि सन 2009 में वह बतौर इन्सपेक्टर थाना महमूदाबाद में कार्यरत था। क्षेत्र भ्रमण के दौरान उसे जानकारी मिली कि अभियुक्तगण प्रमोद कुमार, छोटकन्ने व राजू का एक संगठित गैंग है। प्रमोद कुमार गैंग का मुखिया है। यह अपने तथा अपने साथियों के आर्थिक व भौतिक लाभ हेतु चोरी जैसे अपराध करते हैं जो समाज विरोधी क्रिया कलाप है। उक्त गिरोह के आपराधिक कृत्य से जनता में भय व आतंक है।

33. साक्षी ने इस सम्बन्ध में जिरह में कथन किया है कि– मैंने उन व्यक्तियों के नाम नहीं लिखे हैं, जिनके द्वारा उपरोक्त सक्रिय गिरोह के बारे में सूचना मिली थी। अभियुक्त राजू अपने साथियों के साथ आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए अपराध करते हैं। यह भी जानकारी नहीं हुई कि अभियुक्तगण के विरूद्ध क्षेत्र में दहशत ज्यादा हो कोई भी इनके विरूद्ध गवाही देने को तैयार न होते हों। इस साक्षी के साक्ष्य से अभियुक्तगण द्वारा अपराध से अर्जित आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ प्राप्त किये जाने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। अतः इस साक्षी के साक्ष्य से यह तथ्य स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्तगण द्वारा समूह बनाकर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते हुये आर्थिक व भौतिक लाभ प्राप्त किया जाता था।

34. इस प्रकार इस साक्षी से की गयी जिरह में अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोप कि अभियुक्तगण के द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहकर आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ प्राप्त किया गया है, संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है। उल्लेखनीय है कि अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण के द्वारा अपराध से आर्थिक–भौतिक लाभ प्राप्त करने या दुनियाबी लाभ प्राप्त करने के तथ्य को साबित करने के लिए धारा–14 गैंगेस्टर एक्ट के तहत किसी सम्पत्ति को जब्त करने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

35. इसके अतिरिक्त अभियुक्त के द्वारा अपराध से धनार्जित करते हुए आर्थिक भौतिक या दुनियावी लाभ प्राप्त करने के तथ्य को साबित करने के लिए अभियोजन की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिन मुकदमों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्यवाही की गयी है, उन मुकदमों में से मु०अ०सं० 575/2009 धारा 379,411 आई०पी०सी० थाना महमूदाबाद जिला सीतापुर में न्यायालय के द्वारा अभियुक्तगण प्रमोद कुमार वर्मा, छोटकन्ने व राजू को धारा 379 व 411 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया गया है। अभियुक्तगण की किसी सम्पत्ति के बाबत धारा 14 गैंगस्टर ऐक्ट के तहत जब्तीकरण की कार्यवाही अभियोजन द्वारा करने का कोई आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार साक्ष्यों से अभियुक्तगण के द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहकर आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ प्राप्त किया गया है, संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।

36. इस प्रकार अभियोजन के उपरोक्त साक्षीगण की मौखिक साक्ष्य व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है कि अभियुक्तगण का एक गिरोह है जिसमें उनके द्वारा अपने सह अभियुक्तगण छोटकन्ने व राजू के साथ मिलकर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहकर भारतीय दण्ड विधान में वर्णित अध्याय 16 व 17 के अन्तर्गत अपराध कारित किया गया था, जिनका उद्देश्य आर्थिक व भौतिक लाभ प्राप्त करना था। उपरोक्त साक्षीगण के साक्ष्य से ऐसा कोई बिन्दु उजागर नहीं हुआ है जिससे अभियोजन कथानक पुष्ट होना प्रकट होता हो। पत्रावली पर उपलब्ध गैंगचार्ट के अवलोकन से विदित होता है कि गैंगचार्ट को सक्षम अधिकारी द्वारा बिना कोई उचित प्रक्रिया अपनाये अनुमोदित किया गया है। इस प्रकार अभियुक्तगण की अपराध में संलिप्तता पर युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न होता है तथा अभियोजन कथानक संदेहास्पद प्रतीत होता है।

37. उपरोक्त विवेचना के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण प्रमोद कुमार वर्मा, छोटकन्ने व राजू के विरूद्ध लगाए गए आरोप अंतर्गत धारा 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 को संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतया असफल रहा है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में अभियुक्तगण प्रमोद कुमार वर्मा, छोटकन्ने व राजू को धारा 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 में दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण प्रमोद कुमार वर्मा, छोटकन्ने व राजू को क्रमशः मु०अ०सं०–847/2009, 848/2009 व 849/2009 अन्तर्गत धारा 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, थाना महमूदाबाद, जिला सीतापुर के मामले में संदेह का लाभ लेते हुए उन पर लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण की जमानतें निरस्त की जाती हैं। अभियुक्तगण के जमानतदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण के द्वारा धारा 437A दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत जमानतें दाखिल की जा चुकी हैं, जो निर्णय से 6 माह तक प्रभावी रहेंगी। अभियुक्तगण अपीलीय न्यायालय के द्वारा अपेक्षा किये जाने पर उपस्थित रहेगा।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल संग्रहशाला हो।

दि० 24.03.2026

(अवनीश कुमार–1)
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर ऐक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं० 3, सीतापुर।
J.O.Code UP02737

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दि० 24.03.2026

(अवनीश कुमार–1)
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर ऐक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं० 3, सीतापुर।
J.O.Code UP02737

पंकज/-

Awanish Kumar
Digitally signed by Awanish Kumar
Date: 2026.03.26 16:37:14 +05'30'